भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2308
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

प्रभावित स्कूलों में पोषण जारी रखना

†2308. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत प्रभावित विद्यालयों में पोषण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मुद्रास्फीति के दृष्टिगत भोजन सूची और पोषण मानकों में संशोधन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या रसोई के बुनियादी ढांचे और कार्यबल का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत सुबह का भोजन या नाश्ता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक समय का गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना के लिए बजट आवंटन 12,500 करोड़ रुपये है और साझाकरण मानदंड के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 7,500 करोड़ रुपये है जिसमें रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय और पूरक पोषण मदों के लिए अतिरिक्त निधियां शामिल हैं।

योजना के मौजूदा दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र या पूरे देश में आने वाली आपदा के कारण स्कूल बंद हो जाएं, जैसा कि राज्य/केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों के तहत घोषित किया जा सकता है, तो बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग): यह उल्लेखनीय है कि हालांकि पीएम पोषण एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार खाद्यान्न की लागत, परिवहन लागत और प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) की लागत के लिए 100% सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन 24.15 लाख मीट्रिक टन है जिसकी लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम पोषण योजना के लिए कुल आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 21,500 करोड़ रुपये से अधिक शामिल हैं। सामग्री लागत के घटकों के लिए, रसोइया-सह-सहायकों (सीसीएच) को मानदेय, रसोई-सह-भंडार का निर्माण और मरम्मत और रसोई उपकरणों की खरीद की लागत को अनुमोदित साझाकरण पैटर्न के अनुसार केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाता है। पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत को हाल ही में संशोधित किया गया है। कुल आवर्ती बजट के 5% का प्रावधान फ्लेक्सी घटक के रूप में किया गया है जिसका उपयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकतानुसार स्कूल पोषण उद्यानों की स्थापना और पूरक पोषण उपाय जैसे चिक्की, अंडे, दूध, फल और अतिरिक्त खाद्य पदार्थ आदि के प्रावधान के लिए कर सकते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मेनू तय करने और स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ जैसे बाजरा, सब्जियां, मसाले आदि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंड **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

रसोइया-सह-सहायकों की नियुक्ति सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। प्रधानमंत्री पोषण दिशानिर्देशों में रसोई-सह-भंडार (केसीएस) के निर्माण और मरम्मत तथा रसोइया-सह-सहायकों (सीसीएच) की नियुक्ति का प्रावधान है। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत 24 लाख से अधिक रसोई-सह-भंडार कार्यरत हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएँ हैं। इसके अलावा, पूरे भारत में 97% से अधिक रसोई-सह-भंडार (केसीएस) का निर्माण किया जा चुका है। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीकृत रसोई सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रावधान है कि यदि छात्रों का नामांकन बढ़ता है, तो रसोइया-सह-सहायकों और रसोई के बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया जा सकता है।

(घ) और (ङ): वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत सभी पात्र बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है, तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बच्चों को नाश्ता और अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****

अनुलग्नक-I

प्रभावित स्कूलों में पोषण जारी रखने के संबंध में माननीय संसद सदस्य एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 04.08.2025 **को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या** 2308 **के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

पीएम पोषण योजना के तहत निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंड

सामग्री	**प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए**	**उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए**
क) पोषण मानदंड (प्रति बच्चा प्रति दिन)		
कैलोरी	450	700
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख) भोजन मानदंडों की मात्रा (प्रति बच्चा प्रति दिन)		
खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
सब्जियाँ	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
नमक और मसाले	जरूरत के अनुसार	जरूरत के अनुसार

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा प्रभावित स्कूलों में पोषण जारी रखने के संबंध में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 04.08.2025 **के अतारांकित प्रश्न संख्या** 2308 **के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

वर्ष 2024-25 के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत जारी केंद्रीय सहायता

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी केंद्रीय सहायता**
1	आंध्र प्रदेश	23907.01
2	अरुणाचल प्रदेश	2621.77
3	असम	85101.65
4	बिहार	122565.59
5	छत्तीसगढ	32204.86
6	गोवा	1955.94
7	गुजरात	37215.53
8	हरियाणा	12166.07
9	हिमाचल प्रदेश	9569.66
10	जम्मू एवं कश्मीर	11936.92
11	झारखंड	35362.22
12	कर्नाटक	57303.34
13	केरल	24067.13
14	मध्य प्रदेश	66243.41
15	महाराष्ट्र	105407.95
16	मणिपुर	2823.56
17	मेघालय	9892.94
18	मिजोरम	2661.46
19	नगालैंड	2152.26
20	ओडिशा	50365.64
21	पंजाब	18418.41
22	राजस्थान	59787.41
23	सिक्किम	785.29
24	तमिलनाडु	45977.69
25	तेलंगाना	11774.82
26	त्रिपुरा	6237.31
27	उत्तराखंड	12084.24
28	उत्तर प्रदेश	122464.35

29	पश्चिम बंगाल	-----
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	475.23
31	चंडीगढ़	1196.21
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1168.82
33	दिल्ली	12894.64
34	लक्षद्वीप	204.49
35	लद्दाख	260.58
36	पुदुचेरी	549.19
कुल (लाख में)		**989803.59**
कुल (करोड़ में)		**9898.04**

*****